

प्रथम,

श्री ज्योतिष नागुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन, 2 समुदाय ब्लॉक,
प्रोविन्सियल नर्स दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

दिनांक: 5 नवम्बर, 1973

विषय:- श्री ज्योतिष नागुली का नाम पर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र मिला है कि श्री ज्योतिष नागुली का नाम पर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

- 111 विद्यालय की संरचना को सुधारा देने का काम शुरू कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय का पुस्तकालय में, विद्या भवन द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा शाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कितना अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मांगता प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ दि. डेडिप्ले स्कूल सर्विसेज द्वारा नर्स दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संरचना प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मांगता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शिक्षक एवं शिक्षण कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित जातियों तथा अन्य भेदों से कम वेतन तथा अन्य भर्ती नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा भी कमायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगामी वर्ष माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराया जायेगा ।

attested
20/11/2019

attested
D.A. PUBLIC SCHOOL
KASHMIR (U.S.N.K.)

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निम्न लिखे जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगा ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/संपिकाओं में बांधा जायेगा

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन, संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा वह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय के निजी भवन का निर्माण आगामी 3 वर्ष के भीतर करवा लिया जायेगा

3- विद्यालय में कोई भी अशुभित अध्यापक कार्यरत न होगा ।

4- प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य विद्यालय में शिक्षक अथवा शैक्षणिक काम के किसी अन्य पद पर कार्यरत न होगा ।

5- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुष्ट या क्षमिणता भरती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपारित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

जशोद गौरी
उप सचिव ।

फॉर्म 4094111/15-7-1993 तदनुसार

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कुमायूं मंडल नैनीताल ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, डी.एस.वी.पब्लिक स्कूल काशीपुर, बाजपुर, नैनीताल ।

आज्ञा से,

[Signature]

जशोद गौरी
उप सचिव ।

[Handwritten note]
#1
20/9/2019

[Signature]
Manager

Principal
D. A. V. Public School
Kashipur (Nainital)

attested
Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
KASHIPUR (U.S.N.) U.K.